

23 $\frac{2}{26}$

प्राप्त की सेवा के अंतर्गत कार्य करती है। उक्त 25/3/25
के न्यायालय में विपदाचीन है। 11 महीने से
सम्बन्धित मामलों में पत्र रखा है। प्राप्ति व विलेप
के सम्बन्धित सेवा करने हेतु पूर्व में पत्रिका
सम्बन्धित व अथवा दिया जा रहा है। CPC
1908 के आदेश 9 विधि 2 के अन्तर्गत जहाँ
सम्बन्धित ही मामलों रखे गये हैं। प्राप्ति पर
अतिरिक्त के अलावा रखे के परिणाम
व्यक्त नहीं हैं।

यहाँ प्राप्ति पर रखा है। उक्त जहाँ है
CPC 1908 के आदेश 9 विधि 5 के अन्तर्गत
जहाँ प्राप्ति सम्बन्धित मामलों के विनिर्देशों
के अन्तर्गत साल दिन लड़ गये सम्बन्धित
के लिए अतिरिक्त करने में अलावा रखे
है यहाँ प्राप्ति पर रखा है। उक्त जहाँ है
आफ अन्तर्गत धारा 212 BIA में
प्राप्ति व विलेप धारा के अन्तर्गत लड़ मामलों
में नहीं होने के उक्त आचार पर
उक्त रखा है। उक्त जहाँ उचित है।

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयत्य जज

अल पुरण मे तामील नही लेने ही प्रकृत
एक अतिगत धरा वा 2 असी इसी आधात
पर सारीत डिफा जाता है) पुरण
इसी एतर पर पैसाप सुभा लेता
नम्बरा है मरु हो) *

सहायक कलक्टर
(सुभापति)